जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, द्वितीय, मुंगेर

सत्रवाद सं0 292/2022

खड़गपुर थाना कांड संख्या 254/2015 से उत्पन्न

बिहार राज्य बनाम् अनिल बिंद एवं अन्य।

16.04.2026 अभिलेख प्रस्तुत किया गया। आवेदकगण **1. श्याम सुंदर कुमार, 2. सूरज कुमार, 3. गुण सागर तांती, 4. टनिकलाल तांती एवं 5. आनंद कुमार आनंद तांती** की हाजिरी दी गयी है। उभयपक्षों को आरोप के गठन के बिंदु पर सुना।

अभिलेख आज आरोप गठन हेतु प्रस्तुत किया गया। यह प्राथमिकी सूचक राजेश तांती के लिखित आवेदन के आधार पर यह है कि दिनांक 19.11.2015 को करीब 07:30 बजे शाम में अपने घर में था, तभी आनंद कुमार आकर सूचक को गाली–गलौज करने लगा। सूचक के विरोध करने पर उपरोक्त सभी अभियुक्तगण सहित अन्य अभियुक्त सूचक को मारपीट करने लगे। आनंद तांती ने लाठी से सूचक के सिर पर मारा, जिससे सिर फूट गया। सूचक की पत्नी बचाने आयी, तो उसके साथ भी मारपीट करने लगे, जिससे उसके आंख तथा सिर में चोट आयी। खूश्बू देवी ने सूचक की पत्नी के कान का बाली ले लिया। झगड़ा का कारण यह है कि आनंद तांती कहता है कि तुम्हारी पत्नी दूसरे से फंसी हुई है। तब यह प्राथमिकी धारा 341, 323, 308, 504, 379, 34 भा0द0वि0 के अंतर्गत दर्ज की गयी है। अनुसंधानोपरांत अनुसंधानकर्ता द्वारा उक्त धाराओं में आरोप पत्र समर्पित किया गया। तत्पश्चात् दिनांक 02.04.2016 को धारा 341, 323, 308, 504, 379, 34 भा0द0वि0 के अंतर्गत विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपराध का संज्ञान लिया गया। तब इस बाद को दिनांक 10.10.2022 को दौरासुपुर्द किया गया।

अभिलेख अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि आवेदकगण पर सूचक तथा उसकी पत्नी के साथ मारपीट कर जख्मी कर देने का आरोप लगाया है। कांड दैनिकी के पैरा 02 वादी का पुनः बयान, पैरा 03, 07 एवं 08 में अन्य साक्षियों ने घटना तथा मारपीट का समर्थन किया है। कांड दैनिकी के पैरा 16 में दोनों जख्मी सूचक राजेश तांती एवं उसकी पत्नी अनामिका देवी का जख्म प्रतिवेदन है, जिसमें अनुसार उसके जख्म को साधारण प्रकृति का बताया गया है। चूंकि जख्मियों का जख्म साधारण प्रकृति का है, इसलिए आवेदकगण पर धारा 308

लगातार

16.04.2026. भा0द0वि0 का आरोप बनता प्रतीत नहीं होता है। धारा 308 भा0द0वि0 को छोड़कर शेष अन्य धाराएं विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा विचारणीय हैं।

अतः आवेदकगण पर धारा 308 भा0द0वि0 का आरोप आकृष्ट नहीं होने के कारण तथा शेष धाराए 341, 342, 323, 324, 354, 504, 506, 34 भा0द0वि0 न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा विचारणीय है। अतः धारा 228(1)(a) सीआरपीसी के अंतर्गत इस अभिलेख को विचारण हेतु विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, मुंगेर के न्यायालय में भेजने का आदेश दिया जाता है।

वाद दिनांक **02.05.2026** को अग्रिम कार्यवाही हेतु विचारण न्यायालय में प्रस्तुत करें।

कार्यालय अविलंब अभिलेख को विचारण न्यायालय वापस भेजें।

लेखापित
Sd/-
(राकेश कुमार सिंह)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, द्वितीय, मुंगेर
दिनांक 16.04.2026.

प्रतिलिपिः– विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित आदेश की प्रति भेजी जाती है।

लेखापित

(राकेश कुमार सिंह)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, द्वितीय, मुंगेर
दिनांक 16.04.2026.